



39/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-अमरोहा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में) | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएससी कोड | धनराशि |
| आईडीबीआई बैंक | 1002104000087878 | IFSC Code IBKL0001002 | 179.137 |

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र०सं० | जनपद का नाम | योजना का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मु०न०अ०वि० व मु०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त) |
|---------|-------------|--------------|----------------|--|---|
| 1 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०पा०प० अमरोहा | मु० होलीवाला हसनपुर में सुखदेव इण्टर कॉलेज रोड के दाईं ओर राणा जी टायर वाले के मकान से मैन रोड से रोहतेश के मकान तक, डॉ० नायक के घर से आलोक तथा मैन रोड से डा० नायक तथा ज्योति सरिया वाले के मकान तक सी०सी० रोड/नाली निर्माण कार्य। | 21.197 |
| 2 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०पा०प० अमरोहा | मु० किशनगढ़ में राजपाल के मकान से शोभा राम के मकान तक, जाकिर के मकान से शोभा राम तथा सुनील के मकान से विपिन चौधरी के मकान तक सी०सी०/इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | 11.006 |
| 3 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०प० जोया | वार्ड नं० 05 मु० बादावाला (सुबोध नगर) में रामकुमार के मकान से बरुण कुमार के मकान तक, शिव कुमार यादव के मकान से शंकर के मकान तक, नरेश कुमार के मकान से सतवीर सिंह के मकान तक, सतेन्द्र सिंह के मकान से दुबे जी के मकान तक, मेन रोड से नीरज शर्मा के मकान तक, तेजपाल सिंह के मकान से सुनील चौधरी के मकान तक, अशोक कुमार के मकान से विकिल चौधरी के मकान तक, विशाल यादव के मकान से हीरू शर्मा के मकान तक, रामवीर सिंह के मकान से विरेन्द्र के मकान तक, अमित जैन के मकान से सतीश के मकान तक, वी०के०बी०एम० | 22.122 |



39/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

| क्र०सं० | जनपद का नाम | योजना का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त) |
|---------|-------------|--------------|-------------------|--|--|
| | | | | स्कूल से राजीव के मकान तक, राजेन्द्र सिंह के मकान से जगदीश के मकान तक सी०सी०/इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | |
| 4 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०पा०प० अमरोहा | मो० किशनगढ़ में महेन्द्र सिंह के मकान से टिकम सिंह के मकान तक, बंटी के घर से राजेन्द्र सिंह के मकान तक राजेन्द्र के मकान से विपिन चौहान के मकान तक, मनीष के मकान से जितेन्द्र के मकान तक, राकेश यादव के मकान से अमर नाथ के मकान तक, धर्मपाल के मकान से रामकिशोर के मकान तक, मैन रोड से मुकेश के मकान तक, यादवज के मकान से सुनेन्द्र के मकान तक, उदयवीर के मकान से अमर सिंह के मकान तक, उपें राजवीर के प्लाट से अमर सिंह के मकान तक सी०सी०/इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | 35.926 |
| 5 | अमरोहा | म०ब०-83 | न०प० धनौरा | मो० सुभाषनगर में धर्मपाल के मकान से ताराचन्द के घर तक, फूल कुमार के घर से बलदेव के घर तक, टीकम सिंह के घर से गंगा सरन के घर तक, गंगा सरन के घर से हरीराम के घर तक, लकपत के घर से सोनू के घर तथा धर्मेन्द्र के घर से नन्द किशोर के घर तक एवं बृहमपाल के मकान वाली गली तक इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड/नाली निर्माण कार्य। | 20.601 |
| 6 | अमरोहा | म०ब०-83 | न०पा०प० अमरोहा | वार्ड नं० 02 मो० अहमदनगर में जाटव धर्मशाला से लाल सिंह के मकान तक, विक्रम के घर से मन्दिर तक सी०सी०/इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | 7.687 |
| 7 | अमरोहा | म०ब०-83 | न०नि० जोया | मो० चौकीदारान में विजय सिंह के मकान से राजू जाटव के मकान तक व मो० चौधरियान में उर्मिला बाल्मिकी के मकान से कालू के मकान तक एवं शोरू बाल्मिकी के मकान से ईसाई कब्रिस्तान तक सी०सी०/इण्टरलॉकिंग टायल्स रोड व नाली निर्माण कार्य। | 3.163 |
| 8 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०प० हसनपुर | मो० होली वालान निकट सुखदेव इण्टर कालेज में महाकर प्रधान के घर से प्रशान्त शर्मा के घर तक कल्लू बसन्त के घर से दीपक शर्मा के घर तक, जीतेन्द्र के घर से विपिन के घर से महाकर प्रधान के घर तक, विपिन के घर तक सी०सी० एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 20.766 |
| 9 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०प० नौगावा सादात | सुलेमान के मकान से कब्रिस्तान, अब्दल हफीज के मकान से निजामुद्दीन के मकान तक, मो० ताहिर के मकान से निसार के मकान तक, अशरफ वकील के मकान से मस्जिद तक मदरसा पीछे अहसान वाली गली, हाजी | 21.495 |



39/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

| क्र०सं० | जनपद का नाम | योजना का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त) |
|---------|-------------|--------------|----------------|--|--|
| | | | | अख्तर वाली गली में सी०सी० एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | |
| 10 | अमरोहा | मु०अ०-37 | न०पा०प० अमरोहा | मो० महमूदी सराय वार्ड 11 में श्री राम प्रकाश के मकान से करतार सिंह के मकान तक, खैरातीवाली मढ़ैया वार्ड नं० 13 में प्रकाश सैनी के मकान से रजेन्द्र के मकान तक, राम किशोर सैनी के मकान से कपिल वाल्मीकि के मकान तक, करन सिंह के मकान से जगदीश सैनी के मकान तक, भीम सिंह सैनी के मकान से जग्गन सैनी के मकान तक सी०सी० एवं इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य। | 15.174 |
| | योग | | | | 179.137 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



39/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक